

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 04-मार्च, 2014

विषय : जनपद गोरखपुर में तैनात मोटरबोट को कार्यदायी संस्था के माध्यम से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-556/आपदा-2013, दिनांक 16.08.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में माह जून, 2013 से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण मोटरबोट के संचालन एवं रख-रखाव के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में श्री राज्यपाल महोदय कुल धनराशि रू० 80,000/- (रू० अस्सी हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	कार्य/मद	आवश्यक धनराशि
1	सेवा प्रदाता एजेन्सी को देय धनराशि का भुगतान माह अप्रैल, 2013 से जून, 2013 तक का रू० 4,000/- प्रतिमाह की दर से।	12,000/-
2	सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा माह मार्च, 2014 तक अनवरत् सेवा लिए जाने हेतु (माह जुलाई, 2013 से मार्च, 2014 तक) रू० 4,000/- प्रतिमाह की दर से धनराशि की आवश्यकता।	36,000/-
3	मोटर बोट के रख-रखाव एवं ईंधन (पेट्रोल) आदि के लिए।	32,000/-
	योग	80,000/-

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. राज्य आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समापन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। जिलाधिकारी गोरखपुर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुरस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

6. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 3290(1)/1-10-13-33(4)/2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

04/11/14

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।